

न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल, म०प्र०

कमांक- 431 / 2022

भोपाल, दिनांक - 22.04.2022

(आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक 2022)

मैं अमर सिंह सिसोदिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल धारा 15(2)दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सत्र मण्डल भोपाल में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के आपराधिक कार्य संबंधी पूर्व आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक 2015 संशोधन कं 05 आदेश दिनांक 26.02.15 को छोड़कर पूर्ववर्ती समस्त आदेश को निरस्त करते हुए निम्नलिखित अनुसार कार्य विभाजन करता हूँ, जो माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, भोपाल द्वारा अनुमोदन पश्चात अविलंब प्रभावशील होगा :-

01	श्री अमर सिंह सिसोदिया प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल	<p>अ. राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो संपूर्ण भोपाल, विदिशा, राजगढ़ (ब्यावरा) सीहोर और रायसेन जिला</p> <hr/> <p>ब. संपूर्ण जिला भोपाल</p> <hr/> <p>स. संपूर्ण तहसील हूजूर जिला भोपाल</p>	<p>1. म०प्र० शासन, विधि विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना कं 1-8-79-इक्कीस-ब(एक) भोपाल दिनांक 28 जून 2007 में दर्शित कालम कं 2 में यथा विनिर्दिष्ट मुख्यालयों पर उक्त सारणी के कालम कं 3 के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरण ।</p> <hr/> <p>2. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय से प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण ।</p> <p>3. श्रम विभाग द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रकरण ।</p> <p>4. श्रम न्यायालय के आदेश के उल्लंघन में अभियोजन के प्रकरण ।</p> <p>5. खनिज अधिनियम से संबंधित परिवाद पत्र</p> <p>6. म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल म प्र द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र ।</p> <p>7. भोपाल जिला क्षेत्र के मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियां</p> <p>8. ईनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (प्रतिबंधित) अधिनियम 1978 एवं ऐसे अन्य अधिनियम जिसमें विचारण का क्षेत्राधिकार केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को हो ।</p> <p>9. इंवायरमेंटल लॉ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित परिवाद प्रकरण/आपराधिक प्रकरण</p> <p>10. फारेस्ट लॉ (भारतीय वन अधिनियम) से उद्भूत परिवाद/आपराधिक प्रकरण</p> <p>11. म.प्र.दुकान एवं संस्थापना अधिनियम 1958</p> <p>12. वन विभाग से प्रस्तुत होने वाले परिवाद.</p> <p>माननीय उच्च न्यायालय म प्र जबलपुर के ज्ञापन कं सी/1743, जबलपुर दिनांक 04.05.</p>
----	--	---	--

		<p>13 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल के विविध कार्यालयीन आदेश कं क्यू/सांख्यिकीय लेखन/16, आदेश दिनांक 10.05.16 द्वारा वन विधि एवं खनन विधि से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p>निम्नलिखित अधिनियम एवं तत्संबंधी नियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त थाना क्षेत्रों के आपराधिक प्रकरण</p> <p>.....</p> <p><b>आरक्षी केन्द्र</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. एम.पी.नगर</li> <li>2. टी.टी.नगर</li> <li>3. हबीबगंज</li> <li>4. यातायात</li> <li>5. आबकारी</li> <li>6. बैरागढ</li> <li>7. एस.टी.एफ.</li> </ol>	<p>1. समस्त आपराधिक प्रकरण</p> <p>2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा, खारिजी प्रकरण</p> <p>जिला भोपाल एवं बैरसिया तहसील के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों में प्रस्तुत होने वाले खारिजी प्रकरण।</p>
02	श्री हीरालाल अलावा द्वितीय व्य0न्या0 वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<p><b>आरक्षी केन्द्र</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. कोलार रोड</li> <li>2. कटारा हिल्स</li> </ol> <p>.....</p> <p>सम्पूर्ण तहसील हुजूर</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र।</li> <li>2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण।</li> <li>3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।</li> <li>4. नापतोल अधिनियम 1985</li> <li>5. औद्योगिक विवाद से संबंधित प्रस्तुत परिवाद प्रकरण।</li> <li>6. म.प्र.सिनेमा (रेगुलेशन) अधि0 1952</li> </ol>
03	श्री अरुण सिंह, ग्यारवें व्य0न्या0 वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<p><b>आरक्षी केन्द्र</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. शाहपुरा</li> <li>2. तलैया</li> </ol> <p>.....</p> <p>संपूर्ण तहसील हुजूर</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र</li> <li>2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण</li> <li>3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।</li> <li>4. आरक्षी केन्द्र एम.पी. नगर से उदभूत आपराधिक परिवाद पत्र।</li> </ol>
04	श्रीमती मंजुषा टेकाम, अष्टम व्य0न्या0 वरिष्ठ खंड न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	<p><b>आरक्षी केन्द्र</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 जहांगीराबाद,</li> <li>2. निशातपुरा</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।</li> <li>2. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए</li> </ol>

	भोपाल	3. शाहपुरा, 4 रातीबढ़, 5 छोला मंदिर 6 बिलखिरिया, 7. श्यामला हिल्स	आपराधिक प्रकरण।
05	श्री विधान माहेश्वरी, सप्तम व्य0न्या0 वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. खजूरी सड़क 2. हनुमानगंज ..... सम्पूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 131E के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।
06	श्री शरद लटोरिया सोलहवें व्य0न्या0 वरिष्ठ खंड एवं विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. जी.आर.पी. 2. आर.पी.एफ.	1. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना दिनांक 08.04.2015 अनुसार भारतीय रेलवे अधिनियम से संबंधित स्थानीय क्षेत्र भोपाल, सीहोर, उज्जैन, गुना, अशोकनगर, इन्दौर, राजापुर, रतलाम, खण्डवा, बुरहानपुर, सागर, विदिशा, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना मुरैना, नरसिंहपुर, रीवा, नीमच, भिण्ड, कटनी, छतरपुर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, छिंदवाडा, श्योपुर क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले प्रकरण 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।
07	सुश्री स्नेहा सिंह पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. पिपलानी 2. एनडीपीएस ..... सम्पूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 131E के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।
08	श्री रवि कुमार बौरासी चौबीसवें व्य0न्या0 वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. अशोका गार्डन 2. अरेरा हिल्स ..... सम्पूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 131E के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। 4. पासपोर्ट अधिनियम 5. सर्फेर्स एक्ट से संबंधित परिवाद एवं अन्य

		<p>समस्त कार्यवाहियां</p> <p>6. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से उत्पन्न होने वाले निम्न आरक्षी केन्द्रों के परिवाद:—</p> <table border="0"> <tr> <td>1 जहांगीराबाद,</td> <td>9. अवधपुरी,</td> </tr> <tr> <td>2. निशातपुरा</td> <td>10. अशोकागार्डन,</td> </tr> <tr> <td>3. शाहपुरा,</td> <td>11. टी.टी. नगर</td> </tr> <tr> <td>4 रातीबढ,</td> <td>12. स्टेशन बजरिया,</td> </tr> <tr> <td>5. मिसरोद,</td> <td>13. कमला नगर</td> </tr> <tr> <td>6 मंगलवारा</td> <td>14. हनुमानगंज</td> </tr> <tr> <td>7. सूखी सेवनिया,</td> <td>15. गौतम नगर</td> </tr> <tr> <td>8 अयोध्यानगर</td> <td>16. गोविंदपुरा</td> </tr> <tr> <td>17. अरेरा हिल्स</td> <td>18. एम.पी. नगर</td> </tr> </table> <p>19. ईटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव इस्लामनगर, कल्याणपुरा पठार, परेवाखेडा, विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा, खेजड़ादेव, गुराडिया</p> <p>7. आरक्षी केन्द्र टी.टी.नगर क्षेत्र से उदभूत आपराधिक परिवाद पत्र।</p>	1 जहांगीराबाद,	9. अवधपुरी,	2. निशातपुरा	10. अशोकागार्डन,	3. शाहपुरा,	11. टी.टी. नगर	4 रातीबढ,	12. स्टेशन बजरिया,	5. मिसरोद,	13. कमला नगर	6 मंगलवारा	14. हनुमानगंज	7. सूखी सेवनिया,	15. गौतम नगर	8 अयोध्यानगर	16. गोविंदपुरा	17. अरेरा हिल्स	18. एम.पी. नगर
1 जहांगीराबाद,	9. अवधपुरी,																			
2. निशातपुरा	10. अशोकागार्डन,																			
3. शाहपुरा,	11. टी.टी. नगर																			
4 रातीबढ,	12. स्टेशन बजरिया,																			
5. मिसरोद,	13. कमला नगर																			
6 मंगलवारा	14. हनुमानगंज																			
7. सूखी सेवनिया,	15. गौतम नगर																			
8 अयोध्यानगर	16. गोविंदपुरा																			
17. अरेरा हिल्स	18. एम.पी. नगर																			
09	<p>श्री प्रियंक दुबे नवम व्य0न्या0 वरिष्ठ खंड न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल</p>	<p><u>आरक्षी केंद्र</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>हबीबगंज</li> <li>बागसेवनिया,</li> <li>कटारा हिल्स</li> <li>कोलार रोड,</li> <li>गौतम नगर</li> <li>गोविंदपुरा</li> <li>ईटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव इस्लामनगर, कल्याणपुरा पठार, परेवाखेडा, विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा, खेजड़ादेव, गुराडिया</li> <li>अरेरा हिल्स</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।</li> <li>सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।</li> </ol>																	
10	<p>श्रीमति चेतना दीक्षित सत्रहवें व्य0न्या0 वरिष्ठ खंड न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल</p>	<p><u>आरक्षी केंद्र</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>बागसेवनिया</li> </ol> <p>..... सम्पूर्ण तहसील हुजूर</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>आपराधिक प्रकरण/परिवाद</li> <li>क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण।</li> <li>सक्षम/वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये अथवा प्रति प्रेषित किये गये आपराधिक प्रकरण।</li> </ol>																	

			4. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र में उद्भूत हुए प्रकरण में पूर्व से जारी स्थाई वारंट से संबंधित प्रकरण।
11	श्री निमिष राजा दसवें व्य0न्या0 वरिष्ठ खंड न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. रातीबढ़ 2. निशातपुरा 3. शाहजहांनाबाद  ..... सम्पूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।
12	श्रीमती शालू सिरौही चौकसे तृतीय व्य0न्या0 वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. गोविंदपुरा 2. चूनाभट्टी  ..... सम्पूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।
13	श्री नितेन्द्र सिंह तोमर बाइसवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. गांधीनगर 2. कोहेफिजा 3. जहांगीराबाद 4. मिसरोद  ..... सम्पूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।  ..... 1 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम संबंधित आपराधिक प्रकरण। 2 नगर निगम अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 3 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के मामले जो न्यायिक मजि0प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है। 4. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधि0 5. बाल श्रमिक से संबंधित अन्य अधिनियम एवं बाल श्रमिक से संबंधित अन्य अधिनियम 7. आयकर विभाग, जीएसटी. एवं मूल्य वर्धित कर विभाग (VAT) द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रकरण।
14	श्रीमती शीला मैना यादव षष्ठम व्य0 न्या0 वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. मिसरोद, 2. मंगलवारा . 3. सूखी सेवनिया,	1. धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।

	श्रेणी, भोपाल	4 अयोध्यानगर 5. अवधपुरी, 6. अशोकागार्डन, 7. टी.टी. नगर	
15	सुश्री सोनम वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं बीसवें व्य0न्या0 वरिष्ठ खंड भोपाल	<u>आरक्षी केंद्र</u> 1. अयोध्या नगर, 2. मिसरोद 3. शाहपुरा, 4. गौतम नगर 5. अजाक (यदि कोई प्रकरण हो) 6 मंगलवारा 7 परवलिया सड़क 8 अरेरा हिल्स 9 स्टेशन बजरिया, 10. साईबर काइम (यदि कोई प्रकरण हो)	1. आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन। 2. धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354 ए, बी, सी, डी तथा 354 ए म.प्र. संशोधन अधिनियम, 366, 366 ए, 366बी, 376, 376 ए से 376 डी, 493, 498, 498ए, 509 भा.द.वि. एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सति प्रथा निवारण अधिनियम 1957 से संबंधित अभियोगपत्र एवं परिवाद एवं अन्य समस्त परिवाद जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं। 3. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128, मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 4. संबंधित आरक्षी केंद्र से उत्पन्न होने वाले ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो। 5. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।
16	श्री लोकाेश तारण अठारवें व्य.न्या. वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. मंगलवारा ..... संपूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 195 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। 4. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से उत्पन्न होने वाले निम्न आरक्षी केन्द्रों के परिवाद:- 1. चूनाभट्टी 2. खजूरीसड़क 3. शाहजहांनाबाद 4. टीलाजमालपुरा, 11. श्यामला हिल्स 12. हबीबगंज 13. बागसेवनिया, 14. कटारा हिल्स

			5. पिपलानी 6. कोतवाली 7. गांधीनगर 8. कोहेफिजा 9. चोला मंदिर 10. विलखिरिया 15. कोलार रोड, 16. तलैया 17. बैरागढ़ 18. परवलिया सड़क 19. ऐशबाग 5. आरक्षी केंद्र बैरागढ़ क्षेत्र से उदभूत आपराधिक परिवाद पत्र।
17	श्रीमति अश्विनी सिंह बारडवें ब्य0न्या0 वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केंद्र</u> 1. ऐशबाग ..... संपूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. उच्च न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।
18	श्रीमती प्रियंका उत्कर्ष त्रिपाठी चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल	<u>आरक्षी केंद्र</u> 1. पिपलानी 2. कोतवाली 3. गांधीनगर 4. कोहेफिजा 5. स्टेशन बजरिया, 6. कमला नगर 7. हनुमानगंज	1. धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. उच्च न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।
19	श्री अजय प्रताप सिंह यादव सप्तम ब्य0न्या0 कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केंद्र</u> 1. चूनाभट्टी 2. खजूरीसड़क 3. शाहजहानाबाद 4. टीलाजमालपुरा, 5. तलैया 6. बैरागढ़ 7. परवलिया सड़क 8. ऐशबाग 9. एम.पी. नगर	1. धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. उच्च न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।
20	श्री भारत सिंह रघुवंशी तृतीय ब्य0न्या0 कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केंद्र</u> 1. अवधपुरी 2. सी.आई.डी. 3. काइम ब्रांच ..... संपूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. उच्च न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।

21	<p>सुश्री अंकिता श्रीवास्तव प्रथम व्य0न्या0 कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल</p>	<p><u>आरक्षी केंद्र</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. टी.टी.नगर,</li> <li>2. एम.पी. नगर</li> <li>3. इबीबगंज</li> <li>4. गोविंदपुरा</li> <li>5. बागसेवनिया</li> <li>6. निशातपुरा</li> <li>7. शाहजहांनाबाद.</li> <li>8. कोलार रोड</li> <li>9. गांधीनगर</li> <li>10. कोहेफिजा</li> <li>11. रातीबद्ध</li> <li>12. कोतवाली,</li> <li>13. ऐशबाग,</li> <li>14. सूखीसेवनिया.</li> <li>15. काइम ब्रांच,</li> <li>16. अवधपुरी</li> <li>17. टीला जमालनुरा</li> <li>18. ईटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव इस्लामनगर, कल्याणपुर पठार, परेवाखेडा, विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा लांबाखेडा, खंजड़ादेव, गुराडिया</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन।</li> <li>2. धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354 ए, बी, सी, डी तथा 354 ए म.प्र. संशोधन अधिनियम, 366, 366 ए, 366बी, 376, 376 ए से 376 डी, 493, 498, 498ए, 509 भा.द.वि. एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सति प्रथा निवारण अधिनियम 1957 से संबंधित अभियोगपत्र एवं परिवाद एवं अन्य समस्त परिवाद जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं।</li> <li>3. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128, मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</li> <li>4. संबंधित आरक्षी केंद्र से उत्पन्न होने वाले ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो।</li> <li>5. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।</li> </ol>
22	<p>सुश्री रेणु यादव</p> <p>ग्यारहवें व्य0न्या0 कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल</p>	<p>नातृत्व अवकाश पर है।</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र</li> <li>2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण।</li> <li>3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।</li> </ol>
23	<p>सुश्री पूर्णिमा सैयाम, नवम् व्य.न्या. कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल</p>	<p><u>आरक्षी केन्द्र</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अयोध्या नगर</li> </ol> <p>..... चंपूर्ण तहसील हुजूर</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र</li> <li>2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण</li> <li>3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।</li> <li>4. आरक्षी केन्द्र हबीबगंज क्षेत्र से उदभूत</li> </ol>



			आपराधिक परिवाद पत्र।
24	सुश्री निधि शाक्यवार, चतुर्थ व्य०न्या० कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u>	1. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।
25	श्री लालता सिंह अष्टम व्य०न्या० कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केंद्र</u> 1. छोला मंदिर ..... संपूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।
26	श्रीमती जूजा पाठक बौरासी चौदहवे व्य०न्या० कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केंद्र</u> 1. महिला थाना ..... <u>आरक्षी केंद्र</u> 1. महिला थाना, 2. सीआईडी 3. कटारा हिल्स 4. कमलानगर 5. हनुमानगंज, 6. चूनाभट्टी 7. तलैया 8. पिपलानी 9. जहांगीराबाद 10. जी.आर.पी. 11. आर.पी.एफ. 12. छोला मंदिर 13. अशोका गार्डन 14. खजूरी सडक 15. बैरागढ़ 16. बिलखिरिया 17. श्यामला हिल्स	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण। ..... 1. आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन। 2. धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354 ए, बी, सी, डी तथा 354 ए म.प्र. चंद्रोधन अधिनियम, 366, 366 ए, 366बी, 376, 376 ए से 376 डी, 493, 498, 498ए, 509 भा.द.वि. एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सते प्रथा निवारण अधिनियम '95' से संबंधित अभियोगपत्र एवं परिवाद एवं अन्य समस्त परिवाद जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं। 3. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128, मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 4. संबंधित आरक्षी केंद्र से उत्पन्न होने वाले ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो। 5. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।
27	श्री राजकुमार तोरनिया दशम व्य०न्या० कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. श्यामला हिल्स 2. कमला नगर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा

	प्रथम श्रेणी, भोपाल	..... सम्पूर्ण तहसील हुजूर	प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।
28	श्री सुरेश बारगिया बारहवें व्य0न्या0 कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. परवलिया सडक 2. टीलाजमालपुरा 3. अजाक (यदि कोई प्रकरण हो) ..... सम्पूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र । 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।
29	श्री प्रशांत मर्सकोल तेरहवें व्य0न्या0 कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1 गौतम नगर 2. ईटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव इस्लामनगर, कल्याणपुरा पठार, परेवाखेडा, विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा, खेजड़ादेव, गुराडिया 3. साईबर काइम्स (यदि कोई प्रकरण हो) ..... सम्पूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र । 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।
30	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा पंद्रहवें व्य0न्या0 कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. सूखी सेवनिया ..... सम्पूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र । 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।
31	सुश्री तनुश्री शिवहरे सोलहवें व्य0न्या0 कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. कोतवाली ..... सम्पूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र । 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।
32	सुश्री ऋचा भट्ट सत्रहवें व्य0न्या0 कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. बिलखिरिया ..... सम्पूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र । 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये

			आपराधिक प्रकरण ।
33	सुश्री प्रत्यक्षा कुलेश अठारहवें व्य0न्या0 कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. स्टेशन बजरिया ..... सम्पूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र । 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।
34	श्री रवि नायक व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैरसिया	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. गुनगा 2. थाना गुनगा तहसील हुजूर जिला भोपाल के गांव ईटखेडी, बीनापुर, निपानिया जाट, रायपुर, अरवलिया, खजूरी, खामखेडा, अचारपुरा, परवलिया सानी, रासलाखेडी, गोलखेडी, राताताल, करई, करोद खुर्द, कनेरा, कढैया, अगरिया, घासी पुरा, बरखेडी हज्जाम, भैरोपुरा, मनीखेडी कोट, मोमनपुर, सुमेरखेडी, सूखा निपानिया, हज्जामपुरा, हिनातिया जागीर, चीलखेडा, मस्तीपुरा, खींचीताल से उद्भूत। 3. ईटखेडी बैरसिया तह. 4. आबकारी (धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम को छोडकर)	1. समस्त आपराधिक प्रकरण/ परिवाद पत्र। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण ..... 3. निम्नलिखित अधिनियम एवं श्रम विभाग से संबंधित आपराधिक प्रकरण : 1. खाद्य उपभ्रंश अधिनियम1954 2. म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 3. म.प्र.दुकान एवं संस्थापना अधिनियम 4. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण । 5. बैरसिया जिला भोपाल के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों में उद्भूत होने वाले आबकारी मामलों एवं आबकारी विभाग के समस्त मामलों से संबंधित प्रकरण ।
35	श्रीमति हर्षेनी यादव, व्य0न्या0 वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैरसिया	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. बैरसिया ..... <u>आरक्षी केन्द्र</u>	1. समस्त आपराधिक प्रकरण/ परिवाद पत्र। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. निम्नलिखित अधिनियम एवं श्रम विभाग से संबंधित आपराधिक प्रकरण : 1. खाद्य उपभ्रंश अधिनियम1954 2. म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 3. म.प्र.दुकान एवं संस्थापना अधिनियम 4. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. बैरसिया</li> <li>2. गुनगा</li> <li>3. नजीराबाद</li> <li>4. ईटखेडी बैरसिया तह.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन।</li> <li>6. धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354 ए, बी, सी, डी तथा 354 ए म.प्र. संघोधन अधिनियम, 366, 366 ए, 366बी, 376, 376 ए से 376 डी, 493, 498, 498ए, 509 भा.द.वि. एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सति प्रथा निवारण अधिनियम 1957 से संबंधित अभियोगपत्र एवं परिवाद एवं अन्य समस्त परिवाद जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं।</li> <li>7. एनडीपीएस एक्ट से संबंधित अल्प मात्रा के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के विचारण योग्य आपराधिक प्रकरण.</li> <li>8. समस्त तहसील बैरसिया जिला भोपाल के आरक्षी केंद्र से उद्भूत होने वाले धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम 1915 के मामले</li> <li>9. संपूर्ण तहसील बैरसिया के इंवायरमेंटल लॉ (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम) एवं फारेस्ट लॉ (भारतीय वन अधिनियम) से उद्भूत प्रकरण</li> </ol>
36	<p>सुश्री राखी देवलिया ब्य0न्या0 कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैरसिया</p>	<p style="text-align: center;"><b>आरक्षी केन्द्र</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. नजीराबाद</li> </ol> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;"><b>आरक्षी केंद्र</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. बैरसिया</li> <li>2. गुनगा</li> <li>3. नजीराबाद</li> <li>4. ईटखेडी बैरसिया तह.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. समस्त आपराधिक प्रकरण / परिवाद पत्र।</li> <li>2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण</li> <li>3. निम्नलिखित अधिनियम एवं श्रम विभाग से संबंधित आपराधिक प्रकरण : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954</li> <li>2. म.प्र.दुकान एवं संस्थापना अधिनियम</li> </ol> </li> <li>4. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।</li> <li>5. धारा 138 निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।</li> <li>8. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128, मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</li> </ol>

## // सामान्य नोट //

01. कार्यविभाजन में की गई व्यवस्था के बावजूद जिला भोपाल के क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी भी थाना या वृत्त का कोई प्रकरण सुनवाई हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ग्रहण किया जा सकता है कार्यविभाजन पत्रक में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई भी चालान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी अन्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जावेगा।

02. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी मजिस्ट्रेट मुख्यालय से बाहर प्रस्थान नहीं करेंगे, प्रस्थान करने के पूर्व इसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट को भी देंगे।

03. समस्त रिक्त न्यायालय के महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में रिक्त न्यायालयों द्वारा जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट, अपीलीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्देश, निर्णय का निष्पादन व रिक्त न्यायालय की समस्त कार्यवाही भोपाल जिले के साथ-साथ अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफ्तारी वारंट एवं अन्य समस्त कार्यवाही के लिए समस्त मजिस्ट्रेट, दिए गए अपने-अपने आरक्षी केंद्र अनुसार कार्य संपादित करेंगे।

04. समस्त रिक्त न्यायालय के धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में रिक्त न्यायालयों द्वारा जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट, अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश/निर्णय का निष्पादन, भोपाल जिले के साथ-साथ अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफ्तारी वारंट एवं अन्य समस्त कार्यवाही के लिए समस्त मजिस्ट्रेट, दिए गए अपने-अपने आरक्षी केंद्र अनुसार कार्य संपादित करेंगे।

इसके अतिरिक्त परिवाद पत्र से उद्भूत दंडिक नामलों से संबंधित रिक्त न्यायालयों द्वारा जारी किये गये स्थाई गिरफ्तारी वारंट, अपील न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्देश, निर्णय का निष्पादन तथा परिवाद पत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों के संबंध में रिक्त न्यायालय की अन्य समस्त कार्यवाही के लिये समस्त मजिस्ट्रेट, दिये गये अपने-अपने आरक्षी केन्द्रों का कार्य संपादित करेंगे।

05. उक्त कंडिका 03 व 04 में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त, रिक्त न्यायालयों द्वारा जारी किये गये स्थाई गिरफ्तारी वारंट, रिक्त न्यायालय के निर्णय/आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देश, आदेश एवं निर्णय का निष्पादन तथा रिक्त न्यायालय की अन्य समस्त कार्यवाही के लिये समस्त मजिस्ट्रेट, दिये गये अपने-अपने आरक्षी केन्द्रों अनुसार कार्य संपादित करेंगे तथा जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किये गये हैं और वे वर्तमान में जिला न्यायालय स्थापना में पदस्थ भी हैं, तब जारी किये गये स्थाई गिरफ्तारी वारंट की अन्य समस्त कार्यवाही पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही संपादित की जायेगी। यदि स्थाई गिरफ्तारी वारंट से संबंधित कोई प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में लंबित होगा, तो लंबित प्रकरण के साथ वारंट संलग्न कर विचारण करने हेतु सीधे संबंधित न्यायालय को वारंट, आदेश पत्रिका भेज सकेंगे। पश्चात जहां मानला लंबित होगा, वहीं मजिस्ट्रेट आगे कार्यवाही करेंगे।

इसके अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल के न्यायालय में लगने वाले आरक्षी केन्द्र में से आरक्षी केन्द्र टी.टी. नगर एवं एम.पी. नगर के अपराध से संबंधित रिक्त न्यायालय के निर्णय/आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देश, निर्णय/आदेश का निष्पादन तथा अन्य समस्त कार्यवाही श्रीमति अश्विनी सिंह, जेएमएफसी भोपाल एवं आरक्षी केन्द्र हबीबगंज एवं बैरागढ के अपराध से संबंधित रिक्त न्यायालय के निर्णय/आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देश, निर्णय/आदेश का निष्पादन तथा अन्य समस्त कार्यवाही श्री लालता सिंह, जेएमएफसी, भोपाल द्वारा संपादित की जावेगी।

06. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल के न्यायालय में लगने वाले आरक्षी केन्द्र टी.टी. नगर, एमपी नगर, हबीबगंज, बैरागढ़, यातायात से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफ्तारी वारंट से संबंधित प्रकरण की समस्त कार्यवाही श्री अरुण सिंह जेएमएफसी भोपाल द्वारा संपादित की जायेगी।
07. आरक्षी केन्द्र एम.पी.नगर, हबीबगंज क्षेत्र से उद्भूत आपराधिक परिवाद पत्र श्री अरुण सिंह जेएमएफसी भोपाल, आरक्षी केन्द्र हबीबगंज क्षेत्र से उद्भूत आपराधिक परिवाद पत्र सुश्री पूर्णिमा सैयाम जेएमएफसी भोपाल एवं आरक्षी केन्द्र टीटी नगर क्षेत्र से उद्भूत आपराधिक परिवाद पत्र श्री रवि कुमार बौरासी जेएमएफसी, भोपाल एवं आरक्षी केन्द्र बैरागढ़ क्षेत्र से उद्भूत आपराधिक परिवाद पत्र श्री लोकेश तारण जेएमएफसी, भोपाल के न्यायालयों में प्रस्तुत किये जावेगे और वे विधि अनुसार कार्यवाही संपादित करेंगे।
08. विशिष्ट क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देकर अपने दूर पर प्रस्थान करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण उन्हीं तिथियों पर नियत किये जावें, जिनमें मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर उपस्थित रहें तथा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम दो दिवस मुख्यालय में उपस्थित रहकर न्यायालयीन कार्य का निष्पादन करेंगे।
09. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देकर न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले थाना क्षेत्र में चलित न्यायालय लगा सकेंगे, किन्तु कार्य दिवस में ऐसा करने के लिये माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
10. किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर जाने की दशा में संक्षिप्त विचारण के तहत अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार किये जाने वाले मामले/प्रकरण अनुसूची क्रं 01 के अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश होंगे और उसी न्यायालय में पंजीबद्ध किये जावेंगे। पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने तथा स्थानांतरण हो जाने की दशा में जब तक उनके स्थान पर नये अधिकारी पदभार ग्रहण नहीं करते, तब तक अनुसूची क्रं 01 में वर्णित प्रभारी मजिस्ट्रेट स्थानांतरित अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आने वाले सम्पूर्ण मामले सीधे अपने न्यायालय में ग्रहण कर, पंजीबद्ध करेंगे और विधि अनुसार कार्यवाही करेंगे।
11. कार्यविभाजन पत्रक में यदि भोपाल थाना क्षेत्र तथा बैरसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी आरक्षी केन्द्र का नाम छूट जाता है या किसी आरक्षी केन्द्र का नवीन रूप से गठन होता है तो उक्त आरक्षी केन्द्र के समस्त आपराधिक कार्य व उनके संबंधित सभी आवश्यक कार्य क्रमशः श्री हीरालाल अलावा जेएमएफसी भोपाल तथा श्री रवि नायक जेएमएफसी, बैरसिया जिला भोपाल द्वारा किये जायेगे।
12. धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र का मामला कथन हेतु प्रस्तुत होता है तो क्रमशः प्रथम, द्वितीय प्रभारी व फिर पश्चातवर्ती मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यवाही संपन्न की जावेगी तथा केन्हीं कारणवश किसी आरक्षी केन्द्र का नाम छूट जाता है या किसी आरक्षी केन्द्र का नवीन रूप से गठन होता है तो उक्त आरक्षी केन्द्र के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन (महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित) सुश्री पूर्णिमा सैयाम जेएमएफसी भोपाल द्वारा एवं धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन (महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर) श्री राजकुमार तोरनिया जेएमएफसी भोपाल द्वारा लिया जाएगा।
13. म.प्र.ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996 की धारा 1E(1) व (2) के प्रावधाननुसार ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरण, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में

सम्मिलित नहीं माने जावेगे। ग्राम न्यायालय से संबंधित आपराधिक प्रकरण न्यायिक अधिकारी ग्राम न्यायालय भोपाल के द्वारा ही लिया जायेगा।

14. नाननीय उच्च न्यायालय म प्र जबलपुर का ज्ञान कं बी/806/।।। 6-5/14,जबलपुर,दिनांक 25.02.15 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भोपाल का ज्ञान कं 801/सां0ले0/2015,भोपाल दिनांक 26 फरवरी 2015 के परिपालन में इस न्यायालय के पूर्ववर्ती आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक 2015 संशोधन कं 05 आदेश दिनांक 26.02.15 द्वारा श्रीमती पूजा पाठक बौरासी, जेएमएफसी भोपाल थाना एसटीएफ भोपाल द्वारा प्रस्तुत संलग्न सूची अनुसार कं 01 से 15 तक एवं श्री निमित्र राजा जेएमएफसी भोपाल संलग्न थाना एसटीएफ भोपाल द्वारा प्रस्तुत संलग्न सूची अनुसार कं 16 से 29 तक के अपराध क्रमांक में धारा 164 दंप्रसं के तहत कथन अभिलिखित करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि थाना एसटीएफ भोपाल द्वारा अन्य अपराध क्रमांक में धारा 164 दंप्रसं के कथन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं तो श्रीमती शालू सिरौही चौकसे, जेएमएफसी, भोपाल पूर्व आदेशानुसार कार्य संपादित करेंगे।

15. न्यायिक अभिरक्षा एवं पुलिस अभिरक्षा में किसी बंदी की मृत्यु होने की दशा में तथा केन्द्रीय कारागार भोपाल में निरूद्ध ऐसे बंदी जो कि भोपाल जिले से बाहर थाना क्षेत्र के आपराधिक प्रकरणों में निरूद्ध है तथा जो भोपाल जिले के आरक्षी केन्द्रों के आपराधिक प्रकरणों में निरूद्ध है, की मृत्यु होने पर धारा 176 दंप्रसं की न्यायिक जांच, निम्नांकित न्यायिक दंडाधिकारीगण संपादित करेंगे:-

01. श्री सुरेश बारगिया जेएमएफसी, माह अप्रैल 2022
02. श्री प्रियंक दुबे, जेएमएफसी, माह मई 2022
03. श्री लालता सिंह, जेएमएफसी, माह जून 2022
04. श्री अरुण सिंह, जेएमएफसी, माह जुलाई 2022
05. श्री अरुण सिंह, जेएमएफसी, माह अगस्त 2022
09. श्री प्रशांत मर्सकोले, जेएमएफसी, माह सितम्बर 2022
10. श्री रवि कुमार बौरासी, जेएमएफसी, माह अक्टूबर 2022
11. श्री अजय प्रताप सिंह यादव, जेएमएफसी, माह नवम्बर 2022
12. श्री लोकेश तारण, जेएमएफसी, माह दिसम्बर 2022 से आगामी आदेश होने तक।

न्यायिक अधिकारी जिस माह में न्यायिक जांच हेतु अधिकृत है उक्त माह में सार्वजनिक अवकाशों में बिना माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, एड मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल के पूर्व अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं रहेंगे, परन्तु किन्हीं कारणवश मुख्यालय से बाहर रहते हैं या अवकाश पर जाते हैं तो मुख्यालय छोड़ने हेतु प्रस्तुत आवेदन में इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मांगेंगे, इसके पश्चात प्रभार अनुसूची क्रमांक 1 के अनुसार रहेगा


16. धारा 176 दंप्रसं0 के अन्तर्गत मृत बंदियों की न्यायिक जांच से संबंधित अनुरोध पत्र केन्द्रीय कारागार, भोपाल से व संबंधित आरक्षी केन्द्र से प्राप्त होने पर संबंधित न्यायिक दंडाधिकारीगण अपने अधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्र के संबंध में विधिवत कार्यवाही अविलंब संपादित करेंगे। इस संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल से पृथक से कोई आदेश प्रसारित नहीं किया जायेगा।

17. रिमांड ड्यूटी, वीडियो कांफ्रेसिंग, धारा 164 दंप्रसं0 कथन एवं धारा 176 दंप्रसं0 के तहत अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट के किसी कारणवश अवकाश पर रहने या अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण

होने की स्थिति में उनके स्थान पर आए नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा न्यायालय रिक्त रहने की दशा में प्रभार अनुसूची क.-1 के अनुसार रहेगा एवं वह विधि अनुसार कार्यवाही यथाशीघ्र संपादित करेंगे ।

18. श्री रवि नायक, सुश्री हर्षिनी यादव एवं श्रीमती राखी देवलिया जेएमएफसी बैरसिया जिला भोपाल अपने-अपने आरक्षी केन्द्र के धारा 176 दंप्रसं के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में मृत बंदियों की न्यायिक जांच संपादित करेंगे ।

19. अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2 कार्यविभाजन पत्रक के ही अंग रहेंगे ।

  
 अमर सिंह सिसोदिया  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
 भोपाल, म.प्र. 22.04.2022  
 (अमर सिंह सिसोदिया)  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
 भोपाल (म. प्र.)



## /// अनुसूची क-1 ///

1. न्यायिक दंडाधिकारीगण के अवकाश में रहने पर या न्यायालय रिक्त होने पर, उनके स्थान पर आए नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट या अनुसूची क-1 में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूची के अनुसार अत्यावश्यक न्यायालयीन कार्यों को निष्पादित करेंगे।
2. यदि अनुसूची क. 1 में वर्णित प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ प्रभारी अवकाश पर रहते हैं, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर मुख्यालय उपलब्ध वरिष्ठतम मजिस्ट्रेट प्रभार में रहेंगे। अत्यावश्यक मामलों में ऐसे समस्त मामले शानिल हैं, जिनमें संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा आरोपी अपराध को स्वीकारोक्ति चाहता है। अत्यावश्यक मामलों में वे मामले शामिल नहीं होंगे, जो पहले से किसी न्यायालय में लंबित हों।

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी	चतुर्थ प्रभारी
1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल	श्री हीरालाल अलावा जेएमएफसी	श्री अरुण सिंह जेएमएफसी	श्रीमति मंजुषा टेकाम जेएमएफसी	श्री विधान माहेश्वरी जेएमएफसी
2	श्री हीरालाल अलावा, जेएमएफसी	श्री अरुण सिंह जेएमएफसी	श्रीमति मंजुषा टेकाम जेएमएफसी	श्री विधान माहेश्वरी जेएमएफसी	श्री प्रियंक दुबे, जेएमएफसी
3	श्री अरुण सिंह जेएमएफसी	श्री विधान माहेश्वरी जेएमएफसी	सुश्री स्नेहा सिंह, जेएमएफसी	श्री प्रियंक दुबे, जेएमएफसी	श्रीमति मंजुषा टेकाम जेएमएफसी
4	श्रीमति मंजुषा टेकाम जेएमएफसी	श्रीमति प्रियंका उत्कर्ष त्रिपाठी, जेएमएफसी	श्री अजय प्रताप सिंह यादव, जेएमएफसी	श्रीमति शीला मैना यादव, जेएमएफसी	श्री प्रियंक दुबे, जेएमएफसी
5	श्री विधान माहेश्वरी जेएमएफसी	श्री भारत सिंह रघुवंशी, जेएमएफसी	सुश्री स्नेहा सिंह, जेएमएफसी	श्री प्रियंक दुबे, जेएमएफसी	श्री रवि कुमार बोरासी, जेएमएफसी
6	श्री शरद कुमार लटोरिया, विशेष रे. मजि.	श्री अरुण सिंह, जेएमएफसी	श्री प्रियंक दुबे, जेएमएफसी	श्री रवि कुमार बोरासी, जेएमएफसी	श्रीमति चेतना दीक्षित, जेएमएफसी
7	सुश्री स्नेहा सिंह, जेएमएफसी	श्री प्रियंक दुबे, जेएमएफसी	श्री रवि कुमार बोरासी, जेएमएफसी	श्रीमति चेतना दीक्षित, जेएमएफसी	श्री निमिष राजा, जेएमएफसी
8	श्री रवि कुमार बोरासी, जेएमएफसी	श्रीमति चेतना दीक्षित, जेएमएफसी	श्री निमिष राजा, जेएमएफसी	श्रीमति शालू सिरौही चौकसे, जेएमएफसी	श्री नितेन्द्र सिंह तोमर, जेएमएफसी
9	श्री प्रियंक दुबे, जेएमएफसी	श्रीमति मंजुषा टेकाम जेएमएफसी	श्रीमति प्रियंका उत्कर्ष त्रिपाठी, जेएमएफसी	श्री अजय प्रताप सिंह यादव, जेएमएफसी	श्रीमति शीला मैना यादव, जेएमएफसी
10	श्रीमति चेतना दीक्षित, जेएमएफसी	श्री निमिष राजा, जेएमएफसी	श्रीमति शालू सिरौही चौकसे, जेएमएफसी	श्री नितेन्द्र सिंह तोमर, जेएमएफसी	श्रीमति शालू मैना यादव जेएमएफसी
11	श्री निमिष राजा,	श्रीमति शालू सिरौही	श्री नितेन्द्र सिंह	श्रीमति शीला मैना	श्रीमति सोनम वर्मा,


	जेएमएफसी	चौकसे, जेएमएफसी	तोमर, जेएमएफसी	यादव जेएमएफसी	जेएमएफसी
12	श्रीमति शालू सिरौही चौकसे, जेएमएफसी	श्री नितेन्द्र सिंह तोमर, जेएमएफसी	श्रीमति शीला मैना यादव, जेएमएफसी	श्रीमति सोनम वर्मा, जेएमएफसी	श्री लोकेश तारण, जेएमएफसी
13	श्री नितेन्द्र सिंह तोमर, जेएमएफसी	श्री लोकेश तारण, जेएमएफसी	श्रीमति सोनम वर्मा, जेएमएफसी	श्री लोकेश तारण, जेएमएफसी	श्रीमति अश्विनी सिंह, जेएमएफसी
14	श्रीमति शीला मैना यादव, जेएमएफसी	श्री प्रियंक दुबे, जेएमएफसी	श्रीमति मंजुषा टेकाम, जेएमएफसी	श्रीमति प्रियंका उत्कर्ष त्रिपाठी, जेएमएफसी	श्री अजय प्रताप सिंह यादव, जेएमएफसी
15	श्रीमति सोनम वर्मा, जेएमएफसी	सुश्री अंकिता श्रीवास्तव, जेएमएफसी	श्रीमति पूजा पाठक बोरासी, जेएमएफसी	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा, जेएमएफसी	सुश्री ऋचा भट्ट, जेएमएफसी
16	श्री लोकेश तारण, जेएमएफसी	श्रीमति अश्विनी सिंह, जेएमएफसी	श्री प्रियंका उत्कर्ष त्रिपाठी, जेएमएफसी	श्री अजय प्रताप सिंह, जेएमएफसी	श्री भरत सिंह रघुवंशी, जेएमएफसी
17	श्रीमति अश्विनी सिंह, जेएमएफसी	श्री प्रियंका उत्कर्ष त्रिपाठी, जेएमएफसी	श्री अजय प्रताप सिंह, जेएमएफसी	श्री भरत सिंह रघुवंशी, जेएमएफसी	सुश्री अंकिता श्रीवास्तव, जेएमएफसी
18	श्री प्रियंका उत्कर्ष त्रिपाठी, जेएमएफसी	श्री अजय प्रताप सिंह, जेएमएफसी	श्रीमति शीला मैना यादव, जेएमएफसी	श्री प्रियंक दुबे, जेएमएफसी	श्रीमति मंजुषा टेकाम, जेएमएफसी
19	श्री अजय प्रताप सिंह, जेएमएफसी	श्रीमति शीला मैना यादव, जेएमएफसी	श्री प्रियंक दुबे, जेएमएफसी	श्रीमति मंजुषा टेकाम, जेएमएफसी	श्री प्रियंका उत्कर्ष त्रिपाठी, जेएमएफसी
20	श्री भारत सिंह रघुवंशी, जेएमएफसी	सुश्री पूर्णिमा सैयाम, जेएमएफसी	श्री सुरेश बारगिया, जेएमएफसी	सुश्री अंकिता श्रीवास्तव, जेएमएफसी	श्रीमति सोनम वर्मा, जेएमएफसी
21	सुश्री अंकिता श्रीवास्तव, जेएमएफसी	श्रीमति पूजा पाठक बोरासी, जेएमएफसी	सुश्री सोनम वर्मा, जेएमएफसी	सुश्री पूर्णिमा सैयाम, जेएमएफसी	सुश्री तनुश्री शिवहरे, जेएमएफसी
22	श्रीमति रेणु यादव, जेएमएफसी	सुश्री पूर्णिमा सैयाम, जेएमएफसी	श्री भरत सिंह रघुवंशी, जेएमएफसी	श्री लालता सिंह, जेएमएफसी	श्रीमति पूजा पाठक बोरासी, जेएमएफसी
23	श्री लालता सिंह, जेएमएफसी	श्री राजकुमार तोरनिया, जेएमएफसी	श्री सुरेश बारगिया, जेएमएफसी	श्री प्रशांत मर्सकोले, जेएमएफसी	श्रीमति पूजा पाठक बोरासी, जेएमएफसी
24	सुश्री पूर्णिमा सैयाम, जेएमएफसी	श्री भारत सिंह रघुवंशी, जेएमएफसी	श्री लालता सिंह, जेएमएफसी	श्रीमति पूजा पाठक बोरासी, जेएमएफसी	श्री राजकुमार तोरनिया, जेएमएफसी
25	श्रीमति पूजा पाठक बोरासी, जेएमएफसी	श्रीमति सोनम वर्मा, जेएमएफसी	सुश्री अंकिता श्रीवास्तव, जेएमएफसी	सुश्री ऋचा भट्ट, जेएमएफसी	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा, जेएमएफसी

26	श्री राजकुमार तोरनिया, जेएमएफसी	श्री सुरेश बारगिया, जेएमएफसी	श्री प्रशांत मर्सकोले, जेएमएफसी	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा, जेएमएफसी	कु. तनुश्री शिवहरे, जेएमएफसी
27	श्री सुरेश बारगिया, जेएमएफसी	श्री प्रशांत मर्सकोले, जेएमएफसी	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा, जेएमएफसी	कु. तनुश्री शिवहरे, जेएमएफसी	सुश्री ऋचा भट्ट, जेएमएफसी
28	श्री प्रशांत मर्सकोले, जेएमएफसी	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा, जेएमएफसी	कु. तनुश्री शिवहरे, जेएमएफसी	सुश्री ऋचा भट्ट, जेएमएफसी	कु. प्रत्यक्षा कुलेश, जेएमएफसी
29	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा, जेएमएफसी	कु. तनुश्री शिवहरे, जेएमएफसी	सुश्री ऋचा भट्ट, जेएमएफसी	कु. प्रत्यक्षा कुलेश, जेएमएफसी	श्री राजकुमार तोरनीया, जेएमएफसी
30	कु. तनुश्री शिवहरे, जेएमएफसी	सुश्री ऋचा भट्ट, जेएमएफसी	कु. प्रत्यक्षा कुलेश जेएमएफसी	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा, जेएमएफसी	श्री प्रशांत मर्सकोले, जेएमएफसी
31	सुश्री ऋचा भट्ट, जेएमएफसी	श्री प्रत्यक्षा कुलेश, जेएमएफसी	सुश्री तनुश्री शिवहरे, जेएमएफसी	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा, जेएमएफसी	श्री सुरेश बारगिया, जेएमएफसी
32	कु. प्रत्यक्षा कुलेश, जेएमएफसी	सुश्री तनुश्री शिवहरे, जेएमएफसी	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा, जेएमएफसी	सुश्री ऋचा भट्ट, जेएमएफसी	श्री भरत सिंह रघुवंशी, जेएमएफसी
33	श्रीमती रवि नायक, जेएमएफसी	श्रीमति हर्षनी यादव, जेएमएफसी	श्रीमती राखी देवलिया, जेएमएफसी	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा, जेएमएफसी	सुश्री ऋचा भट्ट, जेएमएफसी
34	श्रीमति हर्षनी यादव, जेएमएफसी	श्रीमती राखी देवलिया, जेएमएफसी	श्री रवि नायक, जेएमएफसी	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा, जेएमएफसी	श्री प्रशांत मर्सकोले, जेएमएफसी
35	श्रीमती राखी देवलिया, जेएमएफसी	श्री रवि नायक, जेएमएफसी	श्रीमति हर्षनी यादव, जेएमएफसी	सुश्री प्रत्यक्षा कुलेश, जेएमएफसी	सुश्री तनुश्री शिवहरे जेएमएफसी
36	प्रधान न्यायाधीश, किशोर बोर्ड, भोपाल	-----	-----	-----	-----

नोट:- 1. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड के स्थानांतरण हो जाने तथा उनके अवकाश पर रहने पर किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा तथा किन्हीं कारणवश उनके भी अनुपस्थित रहने पर मुख्य न्यायिक मजि0 भोपाल को छोड़कर वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा।

2. भोपाल जिला न्यायालय पदस्थापना में रिक्त न्यायालयों में लंबित आपराधिक प्रकरणों के संबंध में समस्त आवश्यक कार्यवाही आगामी आदेश पर्यन्त तक उनके पूर्व प्रभारी अधिकारीगण द्वारा ही की जावेगी।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

  
 अमर सिंह सिसोदिया  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
 भोपाल (म.प्र.) 22.04.2022  
 (अमर सिंह सिसोदिया)  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
 भोपाल (म. प्र.)

## /// अनुसूची क.- 2 ///

धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन अंकित किये जाने हेतु नीचे दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है :-

1. महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित धारा 164 द.प्र.स. के कथनों हेतु निम्न महिला मजिस्ट्रेटों को आरक्षी केंद्र का आबंटन निम्नानुसार किया जाता है:-

कं.	मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	श्रीमती शालू सेरोही चौकसे, जेएमएफसी	1 बैरागढ, 2 छोला मंदिर, 3 महिला थाना, 4. एसटीएफ एवं एटीएस
2	सुश्री अंकिता श्रीवास्तव, जेएमएफसी	1 अजाक, 2 सी.आई.डी., 3 स्टेशन बजरिया
3	सुश्री स्नेहा सिंह, जेएमएफसी	1. अवधपुरी, 2 कटारा हिल्स,
4	श्रीमति चेतना दीक्षित जेएमएफसी	1 हनुमानगंज, 2 पिपलानी, 3 जी.आर.पी., 4 अयोध्या नगर
5	सुश्री पूर्णिमा जैयाम जेएमएफसी	1 जहांगीराबाद, 2 बिलखिरिया 3 रातीबड़, 4 कोतवाली 5 आर.पी.एफ.,
6	श्रीमती प्रियंका उत्कर्ष त्रिपाठी जेएमएफसी	1 सूखीसेवनिया 2 मिसरोद 3 तलैया 4. गोविंदपुरा
7	श्रीमती मंजुषा, जेएमएफसी	1 टी टी नगर, 2, खजूरी सडक 3 शाहजहानाबाद 4 कोहेफिजा, 5 गौतम नगर
8	श्रीमती पूजा पाठक बौरासी, जेएमएफसी	1 ईटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव <u>इस्लामनगर, कल्याणपुरा पठार, परेवाखेडा, विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा, खेजडादेव, गुराडिया</u> , 2 एसटीएफ/एटीएस (आदेश दिनांक 26.02.15 के अनुसार)
9	श्रीमती शीला मैना यादव जेएमएफसी	1 चूनाभट्टी, 2 एम.पी. नगर, 3. कोलार रोड
10	सुश्री ऋचा भट्ट, जेएमएफसी	1 शाहपुरा, 2 सीबीआई 3. मंगलवारा 4. अरेरा हिल्स
11	सुश्री प्रत्यक्षा वुलेश, जेएमएफसी	1 अशोका गार्डन 2 गांधीनगर 3 परवलिया सडक
12	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा, जेएमएफसी	1 कमला नगर 2 ऐशबाग 3 साइबर काइम्स 4 काइम ब्रांच,
13	सुश्री तनुश्री शिवहरे, जेएमएफसी	1 निशातपुरा 2 टीलाजमालपुरा 3 बगसेवनिया,
14	सुश्री सोनम वर्मा जेएमएफसी	1 हबीबगंज, 2 श्यामला हिल्स,

नोट:- 1. धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन अंकित किये जाने हेतु उपरोक्त न्यायिक दंडाधिकारीगण के अवकाश में रहने पर निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूची के अनुसार धारा 164 द.प्र.स. के कथन अंकित करेंगे।

2. यदि सूची में वर्णित प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ प्रभारी अवकाश पर रहते हैं, तो धारा 164 द. प्र.स. के कथन अंकित किए जाने हेतु मुख्यालय पर उपलब्ध वरिष्ठतम महिला मजिस्ट्रेट प्रभार में रहेंगी।

3. धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र का मामला कथन हेतु प्रस्तुत होता है तो क्रमशः प्रथम, द्वितीय प्रभारी व फिर पश्चातवर्ती महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यवाही संपन्न की जावेगी।

कं.	न्यायिक मजिस्ट्रेट	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी	चतुर्थ प्रभारी
-----	--------------------	---------------	-----------------	---------------	----------------




4. इसके अतिरिक्त धारा 164 द.प्र.स. के कथन (महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर) के संबंध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-


कं.	मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	श्री हीरालाल अलावा, जेएमएफसी	1 अवधपुरी, 2 गांधीनगर 3 हनुमानगंज, 4 ईओडब्ल्यू
2	श्री विधान माहेश्वरी, जेएमएफसी	1 आर.पी.एफ. 2 सीबीआई,
3	श्रीमति चेतना दीक्षित, जेएमएफसी	1 जहांगीराबाद, 2. गौतम नगर 3. एटीएस/एसटीएफ (आदेश दिनांक 26.02.15 के अनुसार)
4	श्री नितेंद्र सिंह तोमर, जेएमएफसी	1. शाहजहानाबाद, 2 ईटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव <u>इस्लामनगर, कल्याणपुरा पठार, परेवाखेडा, विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा, खेजडादेव, गुराडिया</u> 3. तलैया
5	श्री लालता सिंह, जेएमएफसी	1 बिलखिरिया 2 गोविंदपुरा, 3 निशातपुरा
6	श्री अरूण सिंह, जेएमएफसी	1 कोतवाली 2 हबीबगंज 3 कोलार रोड 4 जी.आर.पी.
7	श्रीमति अश्विनी सिंह, जेएमएफसी	1 शाहपुरा 2 सूखीसेवनिया 3 टी टी नगर, 4. कटारा हिल्स,
8	श्री लोकेश तारण, जेएमएफसी	1 श्यामला हिल्स, 2 अयोध्या नगर 3 अजाक,
9	श्री राजकुमार तोरनिया, जेएमएफसी	1 टीलाजमालपुरा, 2 बागसेवनिया 3 छोला मंदिर
10	श्री सुरेश बारगीया, जेएमएफसी	1 पिपलानी, 2 मिसरोद 3 साइबर काइम्स, 4 सी.आई.डी.
11	श्री प्रशांत मर्सकोल, जेएमएफसी	1 रातीबड़, 2 खजूरी सडक 3 महिला थाना
12	श्री रवि कुमार बौरासी, जेएमएफसी	1 स्टेशन बजरिया, 2. कमलानगर, 3 परवलेया सडक 4 एमपी नगर
13	श्री अजय प्रतप सिंह यादव, जेएमएफसी	1 अरेरा हिल्स 2 काइम ब्रांच 3 अशोकागार्डन 4 मंगलवारा
14	श्री भारत सिंह रघुवंशी, जेएमएफसी	1 ऐशबाग 2 चूनाभट्टी 3 बैरागढ 4 कोहेफेजा

5. तहसील बैरसिया जिला भोपाल में धारा 164 द.प्र.सं. के कथन अंकित किये जाने हेतु नीचे दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है :-

कं.	मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	श्री रवि नायक, जेएमएफसी, बैरसिया	बैरसिया, नजीराबाद
2	सुश्री हर्षिनी यादव, जेएमएफसी, बैरसिया,	गुनगा, ईटखेडी तह0 बैरसिया

अनुमोदित

  
श्रीमती गिरिबाला सिंह  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
भोपाल 40प्र0

  
अमर सिंह सिसोदिया  
मुख्य न्यायेक मजिस्ट्रेट,  
भोपाल, म.प्र.  
22.06.2022

(अमर सिंह सिसोदिया)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
भोपाल (म. प्र.)